

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 54

गृह मंत्रालय (दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1564.32	929.10	2493.42	1533.86	948.14	2482.00	1595.47	948.14	2543.61	1637.41	1016.26	2653.67
वसूलियां	-19.11	...	-19.11	-7.00	...	-7.00	-7.00	...	-7.00	-4.70	...	-4.70
प्राप्तियां
निवल	1545.21	929.10	2474.31	1526.86	948.14	2475.00	1588.47	948.14	2536.61	1632.71	1016.26	2648.97
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.60	...	23.60	21.45	...	21.45	26.45	...	26.45	22.44	...	22.44
2. अन्य स्थापना	647.07	...	647.07	711.42	...	711.42	731.42	...	731.42	779.27	...	779.27
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	670.67	...	670.67	732.87	...	732.87	757.87	...	757.87	801.71	...	801.71
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें												
3.01 पुलिस कल्याण स्कीम	...	32.29	32.29	0.10	27.75	27.85	0.10	27.75	27.85	0.20	20.48	20.68
3.02 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं	0.12	...	0.12	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.43	...	0.43
3.03 प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2.68	...	2.68	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.32	...	1.32
3.04 अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन	0.16	...	0.16	0.14	5.16	5.30	0.14	5.16	5.30	0.18	6.32	6.50
3.05 कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रमों के लिए योजनाएं	4.24	2.86	7.10	6.32	16.35	22.67	6.32	16.35	22.67	6.30	41.07	47.37
3.06 विद्युत का पारेषण और वितरण	29.26	30.00	59.26	18.54	30.00	48.54	23.54	30.00	53.54	18.04	40.02	58.06
	-15.31	...	-15.31
<i>निवल</i>	<i>13.95</i>	<i>30.00</i>	<i>43.95</i>	<i>18.54</i>	<i>30.00</i>	<i>48.54</i>	<i>23.54</i>	<i>30.00</i>	<i>53.54</i>	<i>18.04</i>	<i>40.02</i>	<i>58.06</i>
3.07 वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	26.14	8.05	34.19	21.11	15.58	36.69	26.61	15.58	42.19	26.76	19.40	46.16
3.08 सार्वजनिक वितरण प्रणाली	6.27	...	6.27	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	4.20	...	4.20
	-3.63	...	-3.63	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50	-4.20	...	-4.20
<i>निवल</i>	<i>2.64</i>	...	<i>2.64</i>
3.09 चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत योजनाएं	12.24	160.59	172.83	13.38	194.00	207.38	13.38	194.00	207.38	12.27	203.56	215.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.10 शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं	21.79	96.50	118.29	22.39	109.70	132.09	23.39	109.70	133.09	20.19	77.70	97.89
3.11 औद्योगिक संवर्धन संबंधी योजनाएं	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00	46.00	...	46.00	50.00	...	50.00
3.12 श्रम कल्याण	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35
3.13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	...	0.17	0.17	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.40	0.40
3.14 सड़क और पुल	4.37	385.76	390.13	4.48	356.10	360.58	4.48	356.10	360.58	4.03	404.45	408.48
3.15 पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास	1.01	1.01	...	1.01	1.01	...	0.52	0.52
3.16 नागर विमानन से संबंधित योजनाएं	33.36	9.13	42.49	25.00	25.01	50.01	25.00	25.01	50.01	21.00	24.02	45.02
3.17 पर्यटन के लिए योजनाएं	4.32	75.29	79.61	4.10	45.24	49.34	4.10	45.24	49.34	4.12	53.35	57.47
3.18 लोक निर्माण कार्य	12.54	104.23	116.77	9.38	74.71	84.09	9.38	74.71	84.09	8.04	88.42	96.46
	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50
<i>निवल</i>	<i>12.54</i>	<i>104.23</i>	<i>116.77</i>	<i>8.88</i>	<i>74.71</i>	<i>83.59</i>	<i>8.88</i>	<i>74.71</i>	<i>83.59</i>	<i>7.54</i>	<i>88.42</i>	<i>95.96</i>
3.19 जलापूर्ति और स्वच्छता	6.94	10.67	17.61	9.78	26.50	36.28	9.78	26.50	36.28	8.88	17.91	26.79
3.20 सामान्य पुल हेतु सरकारी आवास	3.58	1.05	4.63	3.66	8.50	12.16	3.66	8.50	12.16	1.68	0.48	2.16
3.21 टोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.01	0.01
3.22 विधवा/निराश्रित महिला कल्याण	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21
3.23 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	0.18	10.00	10.18	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	15.00	15.00
3.24 खेल विकास संबंधी योजना	...	0.02	0.02	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	0.17	0.17
3.25 दिव्यांग और वृद्धजन के लिए योजना	0.51	...	0.51	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें</i>	<i>175.32</i>	<i>926.61</i>	<i>1101.93</i>	<i>181.14</i>	<i>944.46</i>	<i>1125.60</i>	<i>198.64</i>	<i>944.46</i>	<i>1143.10</i>	<i>184.00</i>	<i>1013.28</i>	<i>1197.28</i>
4. केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	0.39	...	0.39	0.36	...	0.36	0.36	...	0.36	0.35	...	0.35
5. जनजातीय क्षेत्र घटक	1.05	0.08	1.13	1.23	0.10	1.33	1.23	0.10	1.33	1.41	0.01	1.42
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान	400.52	...	400.52	407.30	...	407.30	407.30	...	407.30	423.30	...	423.30
6.02 नगरपालिका परिषदों को अनुदान	172.12	...	172.12	118.80	...	118.80	135.91	...	135.91	124.80	...	124.80
6.03 अन्य अनुदानग्राही निकाय	125.14	...	125.14	85.14	...	85.14	87.14	...	87.14	97.03	...	97.03
<i>जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय</i>	<i>697.78</i>	<i>...</i>	<i>697.78</i>	<i>611.24</i>	<i>...</i>	<i>611.24</i>	<i>630.35</i>	<i>...</i>	<i>630.35</i>	<i>645.13</i>	<i>...</i>	<i>645.13</i>
7. संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय	...	2.41	2.41	0.02	3.58	3.60	0.02	3.58	3.60	0.11	2.97	3.08
जोड़-अन्य	874.54	929.10	1803.64	793.99	948.14	1742.13	830.60	948.14	1778.74	831.00	1016.26	1847.26
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	874.54	929.10	1803.64	793.99	948.14	1742.13	830.60	948.14	1778.74	831.00	1016.26	1847.26
कुल जोड़	1545.21	929.10	2474.31	1526.86	948.14	2475.00	1588.47	948.14	2536.61	1632.71	1016.26	2648.97

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालयी व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना संबंधी प्रावधान शामिल है।

3.01. **पुलिस कल्याण स्कीम:** इसमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियनों के लिए रिहायशी और गैर-रिहायशी इमारतों के निर्माण और अभिवर्धन/पुनरुद्धार हेतु प्रावधान शामिल है।

3.02. **एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं:** इसमें कुटीर उद्योगों के विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मैट्रिक से पहले छात्रवृत्ति/वजीफा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति/वजीफा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क यूनीफार्म, आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **प्राकृतिक आपदाओं से राहत:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के मददेनजर पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत का प्रावधान शामिल है।

3.04. **अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन:** इसमें अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन, अग्निशमन के उपकरणों की खरीद आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रमों के लिए योजनाएं:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता और अन्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत का पारेषण और वितरण:** इसमें विद्युत के पारेषण और वितरण तथा अन्य अवसंरचना संबंधी योजनाओं और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें वन एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत योजनाओं हेतु प्रावधान शामिल है।

3.08. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** इसमें खाद्य भंडारण और वेयरहाउजिंग तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत योजनाएं:** इसमें राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित वीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुछ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ समृद्धि योजना, बेटे बचाओ योजना, एचआईवी पाँजीटिव/एड्स से ग्रसित लोगों को वित्तीय सहायता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं/संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं:** इसमें शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्चतर/तकनीकी शिक्षा), विद्यालय /पॉलीटेक्निक भवनों, खेल के मैदान/स्टेडियम आदि के निर्माण और उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **औद्योगिक संवर्धन संबंधी योजनाएं:** इसमें निवेश संवर्धन योजना और औद्योगिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **श्रम कल्याण:** इसमें श्रमिक कल्याण योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वच्छ भोजन की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:** इसमें आई टी आई के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति तथा आई टी आई के लिए मशीन और उपकरणों के प्रापण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **सड़क और पुल:** इसमें सड़कों और पुलों के अनुरक्षण और मरम्मत सहित उनके निर्माण/उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास:** इसमें पत्तनों और लाइटहाउसों के निर्माण और विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **नागर विमानन से संबंधित योजनाएं:** इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत विमानों के संचालन के लिए वीजीएफ (वाइविलीटी गैप फंडिंग) तथा हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.17. **पर्यटन के लिए योजनाएं:** पर्यटन विकास के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल है।

3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें लोक निर्माण विभाग की इमारतों के निर्माण/उन्नयन तथा अनुरक्षण हेतु प्रावधान शामिल है।

3.19. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जल आपूर्ति योजनाओं के उन्नयन/निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु प्रावधान शामिल है।

3.20. **सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास:** इसमें सरकारी रिहायशी इमारतों के निर्माण, उन्नयन तथा अनुरक्षण हेतु प्रावधान शामिल है।

3.21. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण:** इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है।

3.22. **विधवा/निराश्रित महिला कल्याण:** इसमें विधवाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

3.23. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** इसमें संघ राज्यक्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना आदि हेतु प्रावधान शामिल है।

3.24. **खेल विकास संबंधी योजना:** इसमें खेल परिसरों के निर्माण, आवधिक खेलकूद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करने, खेल परिषद को सहायता प्रदान करने तथा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्रावधान शामिल है।

- 3.25. **दिव्यांग और वृद्धजन के लिए योजना:** इसमें दिव्यांगजन और वृद्ध, विकलांग कल्याण तथा रेड क्रॉस सोसायटी को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्र प्रायोजित सकीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता:** इसमें आईसीडीएस-मिड डे मील में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।
5. **जनजातीय क्षेत्र घटक:** इसमें जनजातीय क्षेत्रों में कल्याण और विद्यालय भवनों, उप-केन्द्रों के निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 6.01. **जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान:** इसमें ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।
- 6.02. **नगरपालिका परिषदों को अनुदान:** इसमें नगरपालिका क्षेत्र में स्कूलों, सड़कों, पुलों, जल संसाधनों, विद्युत आदि के विकास हेतु नगरपालिका परिषद को अनुदान का प्रावधान शामिल है।
- 6.03. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें अन्य अनुदानग्राही निकायों को सहायता अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।
7. **संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय:** इसमें प्रापण, नागर विमानन, कमांड क्षेत्र विकास, दमन गंगा जलाशय के लिए गुजरात सरकार को शेयर पूंजी के भुगतान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं, जनगणना और सांख्यिकी के लिए उपकरणों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण तथा अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड तथा सहकारी बैंक आदि को शेयर पूंजी अंशदानों हेतु प्रावधान शामिल है।